न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 100 सन 2020

अनवान :–

1. गुडडी पुत्री परमेश्वरी जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

सायल

बनाम

1. परमेश्वरी पत्नी श्योराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र परमेश्वरी जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. भजनलाल पुत्र परमेश्वरी जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. मनोज पुत्र परमेश्वरी जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता सायलान
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गैरसायल–1

निर्णय दिनांक :– 14/9/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि सायला के पिता श्योराम की पैतृक भूमि रोही मौजा चक 9 बारानी के खाता संख्या 2726 की कुल 5.5660हैक में से 1/6 हिस्सा , व रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 93/27 की कुल 4.3640हैक में से 1/6 हिस्सा व रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 40/40 की कुल 6.325Oहैक में से 1/6 हिस्सा व रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 98/93 की कुल 15.9390हैक में से 1/6 हिस्सा , व रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 78/73 की कुल 4.0480हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि थी सायला के पिता के फोत होने पर परिवार के मुखिया होने के कारण सायला की मां परमेश्वरी के नाम 1/18 हिस्सा प्रत्येक खाते में दर्ज हो गई जिसमें सायला का भी अपने भाईयो के साथ अपनी मां परमेश्वरी के नाम दर्ज भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है जिसकी धोषणा करवाकर परमेश्वरी के नाम दर्ज भूमि में 1/22 हिस्सा दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

सायला के पिता फोत हो चुके है उनकी मृत्यू के बाद उनका 1/6 हिस्सा गैरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हो गया है चुकि गैर सायल न0 1 सायला की मां है वह काफी वृद्व हो चुकी है एवं सोचने समझने की हालात में नही है इसी बात का नाजायज फायदा उठा कर गैरसायल न0 1 ,2 परेमेश्वरी देवी गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज भूमि को रहन बेय कर सकते है जिससे सायला के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है एवं सायला को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायला गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार मून्तकिल नही करने हेतु पाबन्द करवाने की अधिकारी है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक चक 9 बारानी के खाता संख्या 27/26 व रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 93/27 , रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 40/40 व रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 99/93 व रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 78/73 में 1/18 हिस्सा भूमि परमेश्वरी के नाम दर्ज है को रहन बैय या अन्य प्रकार से मुन्तकिल नही करने हेतु पाबन्द करे।

सायला का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तल्ब किया गया गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की सायला के पिता के फोत होने पर सायला एवं गैरसायल न0 4 ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह जरिये दस्तबरदारी दिनांक 16.03.2005 को गैरसायल संख्या 1 ता 3 के पक्ष मे तर्क किया था अब सायला एवं गैरसायल न0 4 वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है इसलिये सायला न्यायालय से किसी प्रकार की धोषणा करवाने की अधिकारी नही है वर्तमान में गैरसायला रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के

विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायला का विवादित भूमि पर कब्जा नही होने एव हकों का त्याग करने के कारण सायला का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज फरमाया जावे। गैरसायल न0 1 का जबाब शामिल मिसल किया गया।

सायला का अनुतोष केवल गेरसायला न0 1 के विरूद्व है शेष गैरसायल के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष नही है जिनके जबाब की आवश्यकता नही है गैरसायला न0 1 ने जबाब पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया जा चुका है उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायला के पिता श्योराम की पैतृक भूमि रोही मौजा चक 9 बारानी के खाता संख्या 2726 की कुल 5.5660हैक में से 1/6 हिस्सा , व रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 93/27 की कुल 4.3640हैक में से 1/6 हिस्सा व रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 40/40 की कुल 6.3250हैक में से 1/6 हिस्सा व रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 98/93 की कुल 15.9390हैक में से 1/6 हिस्सा , व रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 78/73 की कुल 4.0480हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि थी सायला के पिता के फोत होने पर परिवार के मुखिया होने के कारण सायला की मां परमेश्वरी के नाम 1/18 हिस्सा प्रत्येक खाते में दर्ज हो गई जिसमें सायला का भी अपने भाईयो के साथ अपनी मां परमेश्वरी के नाम दर्ज भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है जिसकी धोषणा करवाकर परमेश्वरी के नाम दर्ज भूमि में 1/22 हिस्सा दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

सायला के पिता फोत हो चुके है उनकी मृत्यू के बाद उनका 1/6 हिस्सा गैरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हो गया है चुकि गैर सायल न0 1 सायला की मां है वह काफी वृद्व हो चुकी है एवं सोचने समझने की हालात में नही है इसी बात का नाजायज फायदा उठा कर गैरसायल न0 1 ,2 परेमेश्वरी देवी गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज भूमि को रहन बेय कर सकते है जिससे सायला के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है एवं सायला को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायला गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार मून्तकिल नही करने हेतु पाबन्द करवाने की अधिकारी है।

गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायला के पिता के फोत होने पर सायला एवं गैरसायल न0 4 ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह जरिये दस्तबरदारी दिनांक 16.03.2005 को गैरसायल संख्या 1 ता 3 के पक्ष मे तर्क किया था अब सायला एवं गैरसायल न0 4 वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है इसलिये सायला न्यायालय से किसी प्रकार की धोषणा करवाने की अधिकारी नही है वर्तमान में गैरसायला रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायला का विवादित भूमि पर कब्जा नही होने एव हकों का त्याग करने के कारण सायला का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायला वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने की अधिकारी है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि सभी चकों में भूमि गैरसायल न0 1 बतौर खातेदार काश्तकार सयुक्त खाते में दर्ज है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन गैरसायल न0 1 के पक्ष में पाया जाता है।

सायला का कथन है कि वाद भूमि उसके पिता श्योराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर गैरसायल न0. 1 के नाम वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अपने कथनों के सम्बध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे सायला के कथनों की पुष्टि होती हो।

सायला का कथन है कि गैरसायला संख्या 1 उसकी माता है गैरसायल की माता के नाम से दर्ज भूमि में उसका हक हिस्सा है गैरसायला संख्या 1 वाद भूमि खूर्द बुर्द कर सकती है इसलिये गैरसायला के नाम दर्ज भूमि को रहन बेय नही करने हेतु पाबन्द किया जावे अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है मात्र कथन है

गैरसायल संख्या 1 का कथन है कि सायला ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग जरिये दस्तबरदारी दिनांक 16.03.2005 गैरसायला के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये सायला पुन गैरसायला संख्या 1 से किसी प्रकार के हकों की मांग नही कर सकती है व अपने कथनों के सम्बध में दस्तबरदारी की प्रति पेश की गई जिससे गैरसायला संख्या 1 के कथनों की पुष्टि होती है।

यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय होगा की सायला के द्वारा गैरसायला न0 1 के पक्ष में दस्तबरदारी करने के उपरान्त पुनः अपने हकों की मांग कर सकती है अथवा नही वर्तमान में गैरसायला संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे मात्र कथनो के आधार पर पाबन्द नही किया जा सकता है सायला ने मात्र कथन ही व्यक्त किये है किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही किया गया है बिना किसी ठोस आधार के खातेदार काश्तकार को पाबन्द करने से अपूर्णीय क्षति खातेदार काश्तकार को हो सकती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सुविधा का सन्तुलन , प्रथम दृष्टया प्रकरण अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायला के पक्ष में नही होने के कारण सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर(हनुमानगढ)